कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक / 251 / अजिंद / 2021 भोपाल,दिनांक 17 / 04 / 2021

// संशोधित आदेश //
(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

कार्यालयीन आदेश कमांक 247–248 / अजिद / 2021 भोपाल,दिनॉक12.04.2021 द्वारा जिलें में भोपाल नगर निगम व बैरसिया नगर पालिका में दिनॉक 12.04.2021 को रात्रि 09.00 बजे से दिनॉक 19.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है । चूँकि जिले में अभी भी स्थिति चितांजनक बनी हुई है अतः मै, **अविनाश लवानिया,कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जिला भोपाल** दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आगामी आदेश तक कोरोना कर्फ्यू लागू करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

(अ)– भोपाल नगर निगम क्षेत्र व बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में दिनॉक 19.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे से सोमवार दिनॉक 26.04.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा । जिसमें उक्त क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठांन बंद रहेगे एवं सामान्य आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को छूट रहेगी।

1– अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम / पालिका, पंचायत, नगर सैनिक,आपदा प्रबंधन, पेय जल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया,सी0एम0 हेल्पलाईन ,पोस्टल सेवाएँ,कार्यालयों के लेखा शाखा आदि विभागो को छोड़कर अन्य सभी विभाग बंद रहेंगे ।
उपरोक्त सभी विभाग मध्यप्रदेश शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ 11–09 / 2020 / 1–9 भोपाल,दिनॉक 11.04.2021 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत खुल सकेंगे ।

2– अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन।

3– अस्पताल,नर्सिंग होम, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं।

4– केमिस्ट, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम।

5– दूध की दुकानें वितरण हेतु (प्रातः 6:00 से प्रातः 9:00 बजे तक)

6– किराना दुकानें एवं सब्जी के ठेले / वाहन सप्ताह में नियत दिवस सोमवार, बुधवार, शुकवार को केवल घर पहुँच सेवा उपलब्ध करा सकेंगे।

7– औधोगिक मजदूरो, उद्योग हेतु कच्चा / तैयार माल, उद्योग के अधिकारियो / कर्मचारियों का आवागमन।

8– एम्बूलेन्स, फायर ब्रिगेड,विद्युत प्रदाय, रसोई गैस ।

9– सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।

10– परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडे कर्मी, अधिकारीगण।

11– अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी।

12— राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुडे कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबंधु।

13— बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने—जाने वाले नागरिक।

14— अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।

15— होटल (केवल इन—रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)

यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियॉ नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा,अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अघोहस्ताक्षरकर्ता के संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा । रात्रि कर्फ्यू एवं अन्य समय—समय पर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्ववत लागू रहेंगे। अत्यावश्यक गतिविधियों हेतु आवागमन के समय अपना कार्यालय का फोटो परिचय पत्र साथ रखेंगे अन्यथा की स्थिति में वैघानिक कार्यवाही की जावेगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश दिनांक 17.04.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(अविनाश लवानिया)
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला भोपाल

पृष्ठांकन कमांक / 252 / अजिंद / 2021 भोपाल, दिनांक 17 / 04 / 2021

प्रतिलिपि : — सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1— आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल।

2— अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भोपाल ज़ोन भोपाल।

3— उप पुलिस महानिरीक्षक, शहर रेंज, भोपाल।

4— आयुक्त नगर पालिक निगम, भोपाल।

5— समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, समस्त एसडीएम / समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भोपाल।

6— समस्त पुलिस अधीक्षक / समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक / समस्त नगर पुलिस अधीक्षक / समस्त थाना प्रभारी भोपाल।

7— केन्द्र निदेशक आकाशवाणी / दूरदर्शन भोपाल।

8— उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क भोपाल ।

9— प्रभारी अधिकारी,पुलिस नियंत्रण कक्ष,जहॉगीराबाद भोपाल।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला भोपाल